न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 18/2026 तारीख रजूः—15.04.2026

जीसीएमएस नं0 2026/141

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर
R.A.S.

रूपसिंह पुत्र सूका शिब्बू जाति जाट निवासी पीपलहेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादी

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——————प्रतिवादी

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—1. अशोक नीमनका एडवोकेट वादी

निर्णय

दिनांक :—24.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील वादी ने दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 639/2 रकवा 12 ऐयर, खसरा नम्बर 645 रकवा 18 ऐयर, खसरा नम्बर 830 रकवा 30 ऐयर, खसरा नम्बर 682 रकवा 19 ऐयर, खसरा नम्बर 684 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 690 रकवा 8 ऐयर, स्थित ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन के खातेदारी के कॉलम में वादी रूपसिंह का नाम सहवन से अमीसिंह दर्ज फरमा दिया गया है, जबकि वादी का समस्त सरकारी रिकोर्ड मसलन, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, पंचायत रिकोर्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड में सही नाम रूपसिंह दर्ज है, इसलिए वादी का रेवन्यू रिकोर्ड मे सही नाम रूपसिंह दर्ज फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि बांका दिनांक 10.04.2026 को वादी अपनी आराजीयात पर केसीसी की पत्रावली बनवाने हल्का पटवारी के

पास आया हुआ था कि हल्का पटवारी ने रिकॉर्ड देखकर वादी को अवगत कराया कि इन खसरा नम्बरान की खातेदारी वर्तमान में अमीसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर वादी ने समस्त रेवन्यू रिकॉर्ड की जाँच की तो उक्त भूल का वादी को इल्म हो पाया है वादीगण ने तहसीलदारजी से नाम मे संशोधन करने की प्रार्थना की तो उन्होने सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत वादी को फरमायी है इसलिये दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि विनाय दावा 10.04.2026 को वादी द्वारा अपने कब्जे की आराजीयात मे वादी के नाम मे रूपसिंह के स्थान पर अमीसिंह दर्ज करने के कारण बमुकाम स्थित ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन, जिला करौली, (राज०) इस सम्मानीय अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि विनाय मुखास्त विवादित भूमि कृषि भूमि होने एवं सकूनत फरीकेन् स्थित ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली, (राज०) में स्थित होने के कारण उक्त दावे के सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि दावा हाजा निश्चित कोर्ट फीस पर पेश है।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है दावा हाजा अन्दर म्याद पेश है।

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि वादी अपनी आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को रहन व्यय नहीं किया है।

वाद पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि वादी की ओर से उक्त आराजीयात बावत यह प्रथम वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

वाद पत्र के मद नं09 अ में दर्ज किया है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाया जावे कि वे यह कि आराजीयात, खसरा नम्बर 639/2 रकवा 12 ऐयर, खसरा नम्बर 645 रकवा 18 ऐयर, खसरा नम्बर 830 रकवा 30 ऐयर, खसरा नम्बर 682 रकवा 19 ऐयर,

खसरा नम्बर 684 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 690 रकवा 8 ऐयर, स्थित ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन के खातेदारी के कॉलम में वादी का नाम अमीसिंह के स्थान पर रूपसिंह पुत्र शिब्बू संशोधित फरमाने के आदेश प्रदान करने की कपा करें। उक्त आशय की एक तहरीर भी श्रीमान तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन को जारी फरमाने की कपा करें।

वाद पत्र के मद नं09 ब में दर्ज किया है कि अन्य दीगर दादरसी जो करीने इंसाफ वहक वादी बखिलाफ प्रतिवादी वह भी अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार हिण्डौन ने पत्रांक एलआर/26/195 दिनांक 22.04.2026 से उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का की मूल ही रिपोर्ट पेश की है। पटवारी हल्का पटवार मण्डल ढहरा तहसील हिण्डौन ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि जबावदावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का बिन्दूवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है :—

1. यह कि, आराजी खसरा नम्बर 639/2 रकबा 0.12 है0, 645 रकबा 0.18 है0, 830 रकबा 0.30 है0, किता 3 रकबा 0.60 है0 अमीसिंह पुत्र सिव्वू हि0 1/3, प्रधानसिंह पुत्र सिव्वू हि0 1/3, फिरंगी पुत्र सिब्बू हि0 1/3 जाति जाट सा0देह खातेदार एवं खसरा नम्बर 682 रकबा 0.19 है0, 684 रकबा 0.09 है0, 690 रकबा 0.08 है0, किता 3 रकबा 0.36 है0, अमीसिंह पुत्र सिव्वू हि0 1/3, प्रधानसिंह पुत्र सिव्वू हि0 1/3, फिरंगी पुत्र सिब्बु हि0 1/3 जाति जाट सा0देह खातेदार ग्राम पीपलहेडा की जमाबन्दी सं0 2071—74 खाता संख्या 172, 171 पर दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि, मुताविक राजस्व रिकार्ड खातेदारी अमीसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है।
3. यह कि, बिन्दू संख्या 3,4,5,6,7,8 कानूनी हैं।
4. यह कि, वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अमीसिंह पुत्र सिव्वू दर्ज है जिसे प्रार्थी रूपसिंह पुत्र सिव्वू संशोधित कराना चाहता है। गत कोई

राजस्व अभिलेख रूपसिंह पुत्र सिव्वू से सम्बन्धित उपलब्ध नहीं कराया है। मुताविक राजस्व रिकार्ड रिपोर्ट पेश है।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–2074 किता 2, फोटो प्रति पेन कार्ड सं0 TEEPS5033C रूपसिंह पुत्र शिब्बू , फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 254891694514 रूपसिंह पुत्र शिब्बू निवासी पीपलहेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड बार कोड संख्या 200001351254, यूनिक आईडी क्रमांक 376876409679 सुफेदी पत्नि शिब्बू निवासी पीपलहेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली, पेश किये हैं।

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–2074 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 639/2 रकबा 0.12 है0, 645 रकबा 0.18 है0, 830 रकबा 0.30 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.60 है0 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी अमीसिंह पुत्र शिव्वू हि0 1/3, प्रधानसिंह पुत्र शिव्वू हि0 1/3, फिरंगी पुत्र शिव्वू हि0 1/3 जाति जाट सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–2074 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 682 रकबा 0.19 है0, 684 रकबा 0.09 है0, 690 रकबा 0.08 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी अमीसिंह पुत्र शिव्वू हि0 1/3, प्रधानसिंह पुत्र शिव्वू हि0 1/3, फिरंगी पुत्र शिव्वू हि0 1/3 जाति जाट सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति पेन कार्ड सं0 TEEPS5033C रूपसिंह पुत्र शिब्बू के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 254891694514 रूपसिंह पुत्र शिब्बू निवासी पीपलहेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड बार कोड संख्या 200001351254, यूनिक आईडी कमांक 376876409679 सुफेदी पत्नि शिब्बू निवासी पीपलहेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली में वादी रूपसिंह पुत्र शिब्बू का नाम दर्ज रिकार्ड है।

भू—अभिलेख निरीक्षक वृत मण्डावरा एवं पटवारी हल्का ढहरा की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.04.2026 में अंकित किया है कि मौका रिपोर्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन में दर्ज मुकदमा नं0 18/2026 उनवानी रूपसिंह बनाम तहसीलदार हिण्डौन बाबत् आज दिनांक 20.04.2026 को उपरोक्त दावे में अमीसिंह पुत्र सिब्बू जाति जाट निवासी पीपलहेडा के बारे में ग्रामीणों से आम मजमेआम में पूछताछ की गई। उपस्थित ग्रामवासियान ने अवगत कराया कि अमीसिंह, रूपसिंह का ही वोलता (घरेलू) नाम है, इनके सरकारी कागजात में रूपसिंह पुत्र सिव्बू के नाम दर्ज है। ग्रामवासियान से पूछताछ की कि अमीसिंह व रूपसिंह अलग अलग व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति है तो उन्होंने अवगत कराया कि अमीसिंह उर्फ रूपसिंह ग्राम पीपलहेडा में एक ही व्यक्ति है। कहीं इसका नाम अमीसिंह, कही रूपसिंह दर्ज है। मौके पर परचा मौका तैयार किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 639/2 रकबा 0.12 है0, 645 रकबा 0.18 है0, 830 रकबा 0.30 है0, 682 रकबा 0.19 है0, 684 रकबा 0.09 है0, 690 रकबा 0.08 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी अमीसिंह पुत्र शिव्बू हि0 1/3, प्रधानसिंह पुत्र शिव्बू हि0 1/3, फिरंगी पुत्र शिव्बू हि0 1/3 जाति जाट सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी के उक्त दस्तावेजों में वादी का नाम रूपसिंह पुत्र शिब्बू है जबकि राजस्व रिकार्ड में अमीसिंह पुत्र शिव्बू है! भू—अभिलेख निरीक्षक वृत मण्डावरा एवं पटवारी हल्का ढहरा की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.04.2026 के अनुसार अमीसिंह पुत्र शिव्बू

एवं रूपसिंह पुत्र शिब्बू एक ही व्यक्ति हैं। वादी के अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम रूपसिंह है। इस प्रकार वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अमीसिंह पुत्र शिव्वू के स्थान पर रूपसिंह पुत्र शिब्बू संशोधन कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादी डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 639/2 रकबा 0.12 है0, 645 रकबा 0.18 है0, 830 रकबा 0.30 है0, 682 रकबा 0.19 है0, 684 रकबा 0.09 है0, 690 रकबा 0.08 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन में खातेदार अमीसिंह पुत्र शिव्वू हि0 1/3 के स्थान पर रूपसिंह पुत्र शिब्बू हि0 1/3 इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/4/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली